

अध्याय 6: आपूर्ति बेस प्रबंधन


कंपनी का आपूर्ति बेस अपतट प्रतिष्ठापनों (रिगों, प्लेटफॉर्म) पर कार्गो की आपूर्ति हेतु केंद्रीय भंडार एवं प्रेषण बेस दोनों का कार्य करता है। आपूर्ति बेस का प्रभावी परिचालन उत्पादन/ड्रिलिंग परिचालनों को प्रभावपूर्ण एवं समय पर आपूर्तियों, पोतों के इष्टतम उपयोग तथा इष्टतम माल प्रबंधन के लिए आवश्यक है। न्हावा आपूर्ति बेस (एनएसबी) तथा काकीनाडा आपूर्ति बेस (केएसबी) के परिचालनों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला:

6.1 बेस पर पोतों का प्रतिवर्तन समय (टीएटी)

6.1.1 एनएसबी पर पोतों के अधिक प्रतिवर्तन समय पर अतिरिक्त व्यय

बेस पर टीएटी³² का वैशिक बैचमार्क चार से छः घंटे³³ था। एनएसबी पर 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान परिचालित किए जा रहे पोत (स्वयं के/किराए के) का टीएटी निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट 6: पोत (नौचालन एवं प्रतिवर्तन समय) यात्राओं की संख्या/आरंभिक के अलावा टीएटी (घंटे)



³²पोत का प्रतिवर्तन समय (टीएटी) पोत द्वारा सामग्री को उतारने एवं लदान के लिए आपूर्ति बेस/बंदरगाह पर तथा मार्गदर्शन आवश्यकता, यदि कोई है, सहित वहाँ से निकलने में लिया गया समय है।

³³स्रोत: ईसी एजेंडा (जून 2015)

चार्ट से देखा जा सकता है कि एनएसबी पर पोतों का टीएटी 2012-13 में 11.51 घंटे से 2016-17 में 15.58 घंटे तक बढ़ गया था। तथापि, इस अवधि के दौरान यात्राओं की संख्या 2015-16 में 1422 पर पहुँच गई थी।

टीएटी हेतु छ. घंटे के वैश्विक बैंचमार्क को प्राप्त करने में विफलता के कारण कंपनी द्वारा 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान उठाई गई अतिरिक्त परिचालनात्मक लागत लेखापरीक्षा में ₹ 154.63 करोड़ पर निर्धारित की गई थी। ब्यौरे अनुलग्नक VII क में दिए गए हैं।

वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान कुल पांच जैटी में से केवल 3-4 जैटी का कार्गो के लदान हेतु वास्तव में उपयोग किया गया था और इनमें से केवल दो जैटी का सीमेंट तथा बैराइट के लदान हेतु प्रभाविकता से उपयोग किया गया था। जैटी बैकलोड से जाम हो गई थी तथा स्क्रैप सामग्रियों से पोत की लदान/उतराई प्रक्रिया प्रभावित हुई। एनएसबी सामग्री के भंडारण हेतु स्थान की कमी सामग्री प्रबंधन उपस्कर की कमी तथा श्रमबल जैसी विभिन्न बाधाओं का भी सामना कर रहा था।

एनएसबी जैटी



प्रबंधन ने बताया (मई/सितंबर 2017) कि बेहतर समायोजन तथा पर्यवेक्षण और बेहतर परिणामों के लिए अवसंरचना के उन्नयन हेतु उपाय किए जा रहे थे। श्रमिकों

को प्रोत्साहित करने तथा टीएटी को कम करने के लिए उचित मजदूरी नीति लागू की जा रही थी। मंत्रालय ने बताया (दिसंबर 2017) कि प्रतिवर्तन समय में सुधार करने हेतु उपाय करने पर सहमत हो गई है।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को एनएसबी के उन्नयन के साथ संयोजन में देखने की आवश्यकता है जिस पर आगामी पैरा 6.2 में विस्तार से चर्चा की गई है।

6.1.2 केएसबी पर प्रतिवर्तन समय

लेखापरीक्षा में पाया गया कि केएसबी पर पोतों का टीएटी चार से छः घंटे के वैशिक बैचमार्क से अधिक था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 27.15 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। इसके ब्यौरे अनुलग्नक VII ख में दिए गए हैं।

प्रबंधन ने (जूलाई/सितंबर/अक्टूबर 2017) केएसबी में उच्च टीएटी के लिए, विदेशी



बंदरगाहों / यार्डों के अनुरूप काकीनाड़ा डीप वाटर पोर्ट में स्वचालन की कमी, पोर्ट के बाहर स्थित अपने परिसर से सीधे सेवा ठेकेदार द्वारा सामग्री की आपूर्ति, अधिकतम संभव पीने के पानी और ड्रील वाटर की जहाजों में लोडिंग में लिया गया लंबा समय, सिंथेटिक ऑयल बेस्ट मड और बाराइट्स की लोडिंग और अनलोडिंग एक अलग जेटी पर किया जाना और समय पर चार्टर के रूप में कंपनी द्वारा किराए पर जहाजों के रूप में टीएटी के प्रति रिंग को प्राथमिकता देने की आवश्यकता के कारणों को जिम्मेदार ठहराया

तथ्य के संदर्भ में उत्तर देखा गया कि निजी ठेकेदार के द्वारा थोक हैन्डलिंग प्लांट का परिचालन और रखरखाव किया जाता है जिस और 100 एमटी लोड को शिफ्ट करने में कम से कम 8 घंटे का समय ठेकेदार के करार में प्रदान किया था जबकि टीएटी के लिए वैशिक मानदण्ड 6 घंटे का था।

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि कंपनी इष्टतम परिचालन द्वारा केएसबी के प्रतिवर्तन काल को कम करने के लिए, मैसर्स काकीनाडा, बंदरगाह लिमिटेड (केएसबीएल) के साथ करार के ढांचे के संबंध में कदम उठाए।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अनुशंसा को स्वीकार किया और कहा (दिसंबर 2017) कि पोत के इष्टतम उपयोग के लिए केएसबी में टीएटी के सुधार के उपाय करने के लिए कंपनी सहमत हुई।

6.2 एनएसबी के उन्नयन के साथ साथ वैकल्पिक आपूर्ति बेस की स्थापना में देरी



एनएसबी को तट बेस सुविधा के रूप में स्थापित किया था और 1983 से परिचालित हुआ। इन वर्षों में पश्चिमी अपतट में आपुर्ति आवश्यकताओं को बढ़ाने के साथ एनएसबी में

स्थान अपर्याप्त हो गया। कंपनी ने 2005 एवं 2011 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता और जून 2010 में आन्तरिक समिति के माध्यम से एनएसबी के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न अध्ययन किए थे। परामर्शदाताओं के साथ-साथ आंतरिक समिती ने बढ़ती आपुर्ति आवश्यकताओं का पता करने के लिए एनएसबी के नवीकरण के लिए अनुशंसा की। इसके अतिरिक्त, आंतरिक समिति ने एनएसबी से सेवाओं के अनुपूरक के वैकल्पिक आपूर्ति आधार की आवश्यकताओं की पहचान की।

कंपनी ने 15 वर्ष के रियायत अवधि के लिए 'बिल्ड एवं ओपरेट' (बीओ) नमूने पर पीपीपी³⁴ प्रोजेक्ट के माध्यम से एनएसबी के उन्नयन और परिचालन की संभावना की भी खोज (फरवरी 2012) की। कंपनी ने मौजूदा परिचालन ठेका लागत की तुलना में केवल श्रमबल लागत में इस प्रस्ताव से ₹ 262.87 करोड़ के लाभ का अनुमान लगाया। इस प्रस्ताव को कंपनी द्वारा अनुमोदित (फरवरी 2012) किया गया था। कंपनी की

³⁴ सार्वजनिक निजी भागीदारी

ड्रिलिंग सेवाओं ने यात्रा की अवधि में कमी, ईंधन की खपत और पोत की आवश्यकता के प्रभाव के संबंध में गुजरात तट की निकटता में एक वैकल्पिक आपूर्ति बेस की स्थापना की सिफारिश किया (सितंबर 2013) जिससे एनएसबी से आपूर्ति की तुलना में ₹ 20 करोड़ की वार्षिक बचत हो जाए

इस संबंध में, लेखापरीक्षा का अवलोकन निम्नलिखित है:

- हालांकि कंपनी ने एनएसबी के सुधार को अनुमोदित किया (फरवरी 2012), बीओ नमूने पर एक पीपीपी प्रोजेक्ट के माध्यम से एनएसबी की उन्नयन करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उसके स्थान पर, एनएसबी ने तदर्थ आधार पर सुधार कार्य को कार्यान्वित किया। इन कार्यों में मुख्य रूप से कथित उपयोगकर्ता के आवश्यकताओं के आधार पर मौजूदा पुराने संरचनाओं के पुनरुत्थार/प्रतिस्थापना जैसे सिविल निर्माण कार्य शामिल हैं।
- कंपनी ने फरवरी 2016 से नई आपूर्ति बेस में गतिविधियों की परिकल्पना शुरू की और वैकल्पिक आपूर्ति बेस को किराये पर लेने के लिए प्रस्ताव को अनुमोदित किया (जुलाई 2015)। कंपनी ने मार्च 2016 में एनआईटी जारी किया और अप्रैल 2016 में पूर्व बोली सम्मेलन आयोजित किया। हालांकि, इस संबंध में (मई 2018) तक कोई प्रगती नहीं हुई थी। इस प्रकार, लॉजिस्टिक परिचालन में ₹ 41.75³⁵ करोड़ (मई 2018 तक) पूर्ववर्ती संभावित बचत के फलस्वरूप अतिरिक्त आपूर्ति बेस को स्थापित करने में देरी हुई।

प्रबंधन ने तथ्य को स्वीकार करते हुए, निम्नानुसार बताया (मई 2018):

- चरणबद्ध तरीके से सुधार किया जाना था और वेयरहाऊस का पुनरुत्थार और ट्यूबुलर संग्रहण का सुधार प्रगति पर थे। हालांकि, अलग-अलग उन्नयन में वृद्धि लाने के लिए श्रमबल की जरूरत थी।

³⁵कंपनी द्वारा 20 करोड़ प्रति वर्ष की बचत बनाए गए; 20 करोड़ /12 (माह)=1.67 करोड़ प्रति माह। वैकल्पिक आपूर्ति बेस को किराए में लेने की देरी (मार्च 2016 से मई 2018= 25 माह); 1.67x25=41.75 करोड़

- वर्तमान योजना अतिरिक्त आधार को अंतिम रूप देने में और उस आधार पर 30 प्रतिशत परिचालन तक ले जाए। पूर्व देरी से बेहतर बनाने के लिए प्रोजेक्ट में निगरानी की जा रही थी और बोली पूर्व कार्यवृत्त को अंतिम रूप दिया था।

निकासी सम्मलेन के दौरान, प्रबंधन ने (अक्टूबर 2017) देरी को स्वीकार किया और कहा कि एक बार वैकल्पिक आपूर्ति बेस तैयार किया जाए, फिर एकीकृत रूप से उन्नयन किया जाएगा।


लेखापरीक्षा ने कहा कि एनएसबी के दूर्बल अवसंरचना और पुरानी व्यवस्था के फलस्वरूप एनएसबी के परिचालन में का लागत अपेक्षाकृत बढ़ गया। सलाहकारों द्वारा परिकल्पित एकीकृत प्रस्ताव को स्वीकार करने से तदर्थ और अलग-अलग उन्नयन कार्य के परिणामस्वरूपभी एनएसबी/पोत परिचालन की दक्षता में सुधार नहीं इसके अतिरिक्त, एक प्रोजेक्ट जिसको स्थापित करने के लिए सात महीने लगना चाहिए उसके लिए दो वर्ष के समाप्त होने के बाद भी बोली-पूर्व बैठक कार्यवृत्त के अनुमोदन में देरी हुई, कंपनी ने परिकल्पित बचत को त्यागना जारी रखा था जो कि औचित्यहीन था।

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि कंपनी ने सभी हितधारकों के लिए एक एकीकृत सामग्री प्रबंधन वेयरहाउस के रूप में एनएसबी अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ अभ्यासों और परिचालन के साथ मालसूची प्रबंधन के लिए एकल बिन्दु जिम्मेदारी के साथ, बैकलोड्स से व्यापार करने की स्थिती में निपटान नीति के साथ एनएसबी के लिए एकीकृत उन्नयन योजना कार्यान्वित और आविष्कृत किया है। कंपनी अपतट पर भेजनेवाली सामग्री जांच करने के लिए एक गैर विधवंसक परीक्षण सुविधा भी स्थापित की गई ताकि, भंडारों की आसान पहचान के लिए डैकलॉड, पृथक्करण और सामग्री की प्राप्ती के बाद टैगिंग किया जा सकता है।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अनुशंसा को स्वीकार किया और कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार एनएसबी के आधुनिकीकरण के लिए समयबद्ध तरीके से आवश्यक कार्रवाई करने और उपयुक्त सॉफ्टवेयर के द्वारा मालसूची प्रबंधन सहित सर्वोत्तम पद्धतियों को शामिल करने का निर्देश दिया। (दिसंबर 2017)

6.3 एनएसबी में पानी का अपर्याप्त स्त्रोत

कंपनी के अपतट परिचालनों में पीने के लिए पेय जल³⁶ और ड्रिलिंग परिचालन के लिए ड्रिल जल अपेक्षित है। पोत में समस्त



कार्गो में पानी का अनुपात लगभग 42 प्रतिशत है।

6.3.1 ड्रिलिंग तथा पेय जल की आवश्यकता

ड्रिलिंग गतिविधि के आधार पर ड्रिल पानी (डीडब्ल्यू) की आवश्यकता थी। रिगों प्लेटफॉर्म की संख्या पर पेयजल की निर्भरता और यात्रा से यात्रा तक काफी हद तक परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं थी। अनुलग्नक VIII में अपतट संस्थापन में आपूर्ति किए गए पानी का विवरण है।

सभी रिगों में ड्रिल पानी की आपूर्ति निःशुल्क थी जबकि कंपनी द्वारा किराये पर लिए गए रिगों में पेयजल की आपूर्ति प्रभार्य थी। चूंकि पेय जल एवं ड्रिल पानी के लिए आपूर्ति पोत में अलग से पानी की टंकी का अनुरक्षण नहीं किया, कंपनी ने ड्रिलिंग एवं

³⁶ड्रिल पाइप अंदर से पम्प किया गया और ड्रिल बिट से बाहर निकला जो “मड़” या ड्रिलिंग फ्लूइड बनाने के लिए ड्रिल पानी अपेक्षित है।

उपभोग के लिए महाराष्ट्र इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन (एमआईडीसी) से प्राप्त गुणवत्ता पेय जल की आपूर्ति की गई थी।

6.3.2 बेस में ड्रिल एवं पेय जल का स्त्रोत

महाराष्ट्र इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन (एमआईडीसी) ने गावन, कोपर और न्हावा के गांवों के माध्यम से गुजरने दास्तान फाटा से सिटी इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन (सिडको) द्वारा बिछाई गई 11 कि.मी पाइपलाइन के द्वारा एनएसबी को पानी की आपूर्ति की थी। 2012-13 से 2016-17 अवधि के दौरान दास्तान फाटा के स्त्रोत से पम्प किया गया पानी की आयतन और एनएसबी में प्राप्त आयतन निम्नलिखित है।

**तालिका 6.1: न्हावा में प्राप्त एवं दास्तान फाटा से पम्प किया गया पानी का विवरण
(प्रतिवर्ष क्युबिक मीटर में)**

वर्ष	दास्तान फाटा में पम्प किया गया आयतन	न्हावा में प्राप्त आयतन	एनएसबी को आपूर्ति के लिए एमआईडीसी द्वारा अनुमोदित आयतन
2012-13	1775780	490206	920000
2013-14	1817131	494180	915000
2014-15	1855482	494010	915000
2015-16	1746876	353390	915000
2016-17	1862813	325230#	915000

स्त्रोत: एनएसबी द्वारा प्रस्तुत डाटा

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि एनएसबी में प्राप्त मात्रा दास्तान फाटा से पम्प किया गया पानी की मात्रा से काफी कम है। दास्तान फाटा से पम्प किया गया पानी की मात्रा 2012-13 में 28 प्रतिशत से 2016-17 में 17 प्रतिशत तक कम हुई। यह गाँव वालों द्वारा मार्ग में पाइपलाइन की अनधिकृत दोहन के कारण है। जबसे एमआईडीसी दास्तान फाटा में पम्प किए गए पानी की मात्रा पर लगाए गए शुल्क के 75,000 क्युबिक मीटर औसत स्वीकृत मात्रा से अधिक पानी पर प्रतिमाह अतिरिक्त शुल्क लगाया गया, कंपनी को 2012-17 के दौरान उपयोग नहीं किए गए जल हेतु ₹7.99 करोड़ का भुगतान करना पड़ा।

कंपनी ने अवलोकन किया (जनवरी 2017) कि रायगढ़ जिला परिषद द्वारा निर्मित भूमिगत और उपरी टंकी भी इस पाइपलाइन से भरा गया था जो मामला सीआईडीसीओ के संज्ञान में लाया गया, जो पाइपलाइन के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। तथापि सीआईडीसीओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

6.3.3 भूमि तथा रिंगों के टैंकों में पानी संग्रहण की उपलब्धता

एनएसबी में टैंकों की संग्रहण क्षमता केवल एक दिन की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए ही पर्याप्त थी। एमआईडीसी/सीआईडीसीओ द्वारा आपूर्ति को एक दिन से अधिक तक रोकने से एनएसबी में पानी की मांग को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा और उच्च लागत पर बजरों द्वारा संवर्धित आपूर्ति आवश्यक होगी। सलाहकार मैर्सेस पीटरसन एसबीएस (2011) और मैर्सेस रॉयल हस्कोनिंग (2012) ने 3,600 एमटी से 5000 एमटी तक संग्रहण क्षमता बढ़ाने की अनुशंसा की थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी द्वारा (दिसंबर 2017) इस संबंध में कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं की गई।

किराए पर लिए गये रिंगों की निविदा शर्तें निर्धारित करती है कि सभी रिंगों में कम से कम 15 दिन के लिए आवश्यक जल भंडारण क्षमता होनी चाहिए। इस आवश्यकता के अनुपालन के कारण 15 दिनों में केवल एक बार पोतों के माध्यम से किराए पर लिए गए रिंगों को आवश्यक जल आपूर्ति की जाती है। हालांकि, जल आपूर्ति के लिए पोत के जाने की आवृत्ति का अवलोकन सप्ताह में दो बार किया गया। सामान्यतः अन्य थोक सामग्री के साथ पोतों द्वारा जल सुपुर्दगी होती थी। आगे देखा गया कि आपूर्ति मेंकमी के कारण, रिंगों/प्लोटफॉर्मों में केवल जल सुपुर्द करने के लिए सप्ताह में कई बार यात्राएं की जाती थीं। लेखापरीक्षा द्वारा (2015-16) एक वर्ष के दौरान पोतों की यात्रा विवरण की नमूना जांच की गई और वर्ष 2015-16 में ₹ 22.34 करोड़³⁷ के लिए

³⁷ न्हावा पर लोड करने के लिए दिन दर पोत और प्रति दिन ₹ 1,20311 की दर से 1,857 अतिरिक्त यात्रा के लिए एचएफएचएसडी लागत अतिरिक्त यात्रा।


प्रतिष्ठापनों/रिंगों को केवल जल सुपुर्दगी हेतु की गई यात्राओं की लागत निर्धारित की थी।

प्रबंधन ने स्पष्ट किया (अक्तूबर 2017) कि एनएसबी में पर्याप्त मात्रा में जल की अनुपलब्धता के कारण अतिरिक्त यात्राएं हुईं। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इष्टतम मात्रा, जो व्यावहारिक रूप से प्रतिष्ठापना में संग्रहीत की जा सकती थी, जो उनको सुपुर्द नहीं किये गये थे, जिससे परिहार्य यात्रा की संख्या में वृद्धि हुई।

6.3.4 कंपनी के परिचालनों पर जल की कमी का प्रभाव

मानसून पूर्व ग्रीष्म महीनों के दौरान जल की अत्यधिक कमी रहती थी। इस अवधि के दौरान रिंगों/प्लेटफॉर्म से पहुँचाए गए जल से आवश्यकता को पूर्ण नहीं किया जा सका और उपलब्धता के आधार पर जल आपूर्ति को रोक दिया गया था। परिणामस्वरूप, ड्रिलिंग के लिए आवश्यक मिटटी की तैयारी प्रभावित हुई और ड्रिलिंग का काम बाधित हो गया था। लेखापरीक्षा में पाया कि जल की आपूर्ति हेतु प्रतीक्षा के कारण रिंगों का निष्क्रिय समय 2012-13 में 137 घंटे से 2016-17 में 797 घंटे बढ़ गया। यह ध्यान रखना उचित है कि 01 अक्तूबर 2015 से 08 नवंबर 2015 तक अल्प अवधि के दौरान 173 घंटे (7.2 दिनों) की अवधि के लिए डीब्ल्यू के अभाव में रिंगों की निष्क्रिय के मामले थे। उपर्युक्त को ध्यान में रखकर लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2015-16 के दौरान लगभग ₹ 10.83 करोड़ की रिंग की प्रतीक्षा समय लागत को कंपनी द्वारा परिचालनों में परिणामी विलंब/प्रभाव को शामिल किए बिना किराए पर लिए गए रिंग की लागत के आधार पर संगणित की गई थी।

6.3.5 ओएनजीसी द्वारा स्वामित्व रिंगों और प्लेटफॉर्म द्वारा पेय जल की खपत



2016-17 तक के अवधि के दौरान 64 से 78 प्रतिशत पेयजल की आपूर्ति की, जो पश्चिम अपतट में स्थित स्वामित्व रिंगों परिनियोजित/प्लेटफॉर्म में सुपुर्द की गई। यह इस तथ्य के कारण कि या तो स्वामित्व रिंगों के ऑनबोर्ड में वाटर मेकर्स उपलब्धता में नहीं थे या उनके परिचालन कार्यक्षमता कम थी।

सीएजी के 2002 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 4 (पैरा 4.1.7.8), 2005 के प्रतिवेदन 6 (पैरा 2.3.2 (vi) और ओएनजीसी (2015 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 39 पैरा 6.3 ए.बी) में रिंगों की प्रदर्शन और उपयोगिता पर प्रतिवेदन में भी कंपनी के स्वामित्व रिंगों/प्लाटफॉर्मों में वाटर मेकर्स की गैर कार्यात्मक/अपर्याप्तता को दर्शाया गया था। यह इन प्रतिवेदनों में सामने लाया गया था कि स्वामित्व रिंगों के आठ में से छह वाटर मेकर्स पुराना था, जबकि यह अन्य दो रिंगों में अपर्याप्त था। कंपनी ने उत्तर में बताया (अप्रैल 2015) कि वाटर मेकर्स की खरीदा की जा रही थी। हालांकि लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया (जून 2017) कि दैनिक आवश्यकता पूर्ण करने के लिए पांच में से दो स्वामित्व रिंग प्रर्याप्त

पानी का उत्पाद कर सकता है। पूर्वी अपतट पर ड्रिल शिप 'सागर विजय' का परिनियोजन हुआ जिसको ऑनबोर्ड वाटर मेकर नहीं था। वाटर मेकर के अनुपलब्धता के फलस्वरूप काकीनाडा सीपोर्ट लिमिटेड (के एसपीएल) से पेयजल 88,942 एम(MT) परिहार्य खरीद के फलस्वरूप ₹ 2.28 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

6.3.6 पोतों द्वारा जल की बोर्ड पर वापसी

लेखापरीक्षा ने पाया (पैरा 5.5) कि 52 प्रतिशत थोक कारगो को एनएसबी में आरओबी के अप्राप्य कारगो को वापस लाया गया। लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकन किया कि जबकि औसतन, प्रति यात्रा में पेयजल की आरओबी 90 एमटी(MT) से अधिक थी। दैनिक अपतट आवश्यकता को पूर्ण करने में एनएसबी से पानी की आपूर्ति अपर्याप्त थी।

मामले के संबंध में पैरा 6.3.1 से 6.3.6, में बताए गए मुद्दों के संबंध में प्रबंधन ने कहा (जून/सितंबर 2017) कि ड्रिलिंग सेवा की परामर्श से प्रत्येक रिंग में सुपुर्द पानी की इष्टतम मात्रा की योजना और मौजूदा पुरानी टंकी के उन्नयन द्वारा 5000 एमटी (MT) संग्रहण टंकी सलाहकार के सिफारिश से प्रदान किया जाएगा। आरओबी के रूप में पानी वापिस लाने के संबंध में, यह कहा गया था कि डेक कारगो के आधार पर पोत संचार में प्राथमिकता दी। प्रत्येक गांव के लिए मौजूदा लाइन के साथ नया पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव सीआईडीसीओ अंतिम रूप दिया जा रहा था।

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि कंपनी अपतट में पानी की पर्याप्त आपूर्ति का परिचालन तथा जल्द से जल्द परिचालित करने के लिए समय पर दूसरे विकल्प का मूल्यांकन कर सकती है। वाटर मेकर्स ऑफबोर्ड का उपयोग स्वयं के/ किराए पर लिए रिंगों से सुनिश्चित किया जा सकता है।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को स्वीकार किया।

6.4 तटबेस में मालसूची प्रबंधन शासित आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियों में कमी

स्टॉक ट्रांसफर आदेश (एसटीओ) के माध्यम उनके द्वारा उठाए गए अनुरोधों पर उपयोगकर्ता विभागों मुद्दे और संग्रहण, क्रय विभाग द्वारा खरीदे गए माल को प्राप्त करने के लिए तटबेस जिम्मेदार था। कंपनी के दक्षता के लिए सूचना समेकन (आईसीई) विभाग सामग्री आवागमन की रिकॉर्डिंग के लिए एसएपी प्रणाली में अपनाए जानेवाली प्रक्रिया निर्धारित की है। यह निर्धारित है कि (वस्तु, कल प्रुजे आदि की) एसएपी प्रणाली में अपतट प्लेटफॉर्म/रिंग द्वारा माल आवश्यकता को उठाया है और तटबेस में सुपुर्द किया गया है।

लेखापरीक्षा ने तटबेस में परिचालन में मालसूची प्रबंधन से संबंधित अंतरिक नियंत्रण प्र० या में निम्नलिखित कमियों को देखा।

6.4.1 पश्चिमी अपतट

6.4.1.1 थोक कार्गो की आपूर्ति का प्रबंधन

एनएसबी द्वारा थोक कार्गो की आपूर्ति में सिमेन्ट, बैराइट³⁸ और एचएफएचएसडी (HFHSD) शामिल थे। अपतट में माल भेजने के लिए, हितधारक द्वारा सुपुर्द प्रमाणित करने के बाद स्टॉक सहस्तांतरण आदेश (एसटीओ) का सृजन करना पहला कदम है। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि अप्रैल 2016 से जनवरी 2017 की अवधी के दौरान 730 मामलों में एसएपी प्रणाली द्वारा एसटीओ को बिना उठाए संस्थापन/रिंगों पर थोक कारगो को सुपुर्द किया।

कंपनी के लेखा प्रणाली के अनुसार विशेष रिंग/प्लेटफॉर्म के लिए उपयोग सामग्री को बुक किया जाता है जब इसका प्रयोग हो गया हो। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि नवंबर 2015 तक, एसएपी के खपत की लेखांकन के लिए जारी माल (जीआई) पोतों द्वारा ले जाने वाले सामग्री को सुपुर्द/वापसी के रूप में माना जाता था। प्राप्ति के रूप में

³⁸ बैराइट एक खनिज है जो सामान्यतः तरल प्रदार्थ की ड्रिलिंग के लिए तौल एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है।

(ट्रान्स्पोर्ट्स) पोत द्वारा प्राप्ति सूचना मात्रा और प्राप्ती के रूप में (उपयोगकर्ता) रिगों/प्लाटफॉर्म द्वारा प्राप्ति सूचना मात्रा के बीच महत्वपूर्ण असंतुलन थे। लेखापरीक्षा द्वारा आयोजित नमूना जांच से पता चला कि 2012-13 से 2015-16 की अवधी के दौरान (नवंबर 2015 तक), उपयोगकर्ता के लिए सुपुर्द की गई और परिवाहक को सौंपे गये ₹1.5 करोड़ कीमत की 274.082 के एल के अनुकूल एचएफएचएसडी(HFHSD) ईंधन की मात्रा में अंतर पाया गया। दिसंबर 2015 में, कंपनी ने लेखांकन प्रक्रिया में सुधार किया और उपयोगकर्ता के लिए प्राप्ति मात्रा परिवाहक को सौंपे गये मात्रा से मेल होने के बाद ही जीआई तैयार किया गया। प्रेषण और प्राप्ति मात्रा के लंबित संकल्प, ₹42.39 करोड़ ईंधन मूल्य के 8.138 केएल (KL) (2014-16 की अवधी) कंपनी की पुस्तिका में सामग्री का परिवहन एमआईटी (MT) में पड़ा था।

लेखापरीक्षा ने यह भी अवलोकन किया कि एचएफएचएसडी (HFHSD) के 253 मदों के लिए जी आई, दिसंबर 2015 से जनवरी 2017 की अवधी के दौरान सिमेंट के 115 मद और बेरैट के 362 मदों का उत्पाद नहीं किए थे, पोत द्वारा सुपुर्द मात्रा में लंबित विचार-विमर्श और रिग/प्लेटफॉर्म द्वारा सूचना प्राप्ति मात्रा पर विवाद नहीं था। लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकन किया कि (मार्च 2017) एसएपी प्रणाली में टैकर बी.सी. चाटर्जी के साथ एमआईटी/साइट में सामग्री/एसआईटी के रूप में ₹ 8.69 करोड़ के मूल्य का ईंधन का हिसाब जारी रखा यद्यपि जनवरी 2016 में पोत किराए पर नहीं लिया। एसटीओ (STO) का अनुपस्थिति या एसटीओ (STO) के गलत मुद्रे विसंगतियों का कारण था। इस तथ्य के बावजूद कि तदनंतर कुछ रिगों को किराए पर नहीं लिया और कुछ कार्य विश्लेषण संरचना³⁹ डब्ल्यूबीएस (WBS) तत्वों को रोक दिया था, एसएपी प्रणाली में इन रिगों/डब्ल्यूबीएस (WBS) द्वारा खपत की संगणना अभी भी बाकी है।

³⁹ कार्य विश्लेषण संरचना परियोजना प्राप्तियों और परियोजना कार्य को एसएपी ईआरपी प्रणाली में यथा परिभाषित छोटे, अधिक प्रबंधन योग्य घटकों में उपविभाजित करने की प्रक्रिया है।

इसके फलस्वरूप पूँजीगत कार्य की प्रगती का कमी और संपत्ति का कम पूँजीकरण के परिणामता और लाभ और हानि खाते में कम मूल्यहास का प्रभार लगाया जा रहा है।

6.4.1.2 केसिंग पाइप्स, ट्यूबुलर, ड्रिल स्टोर, वेल हेड, एक्समस ट्री⁴⁰ स्पेयर आदि से संबंधित सामग्री प्रबंधन पद्धति में कमी।

पारगमन की उचित अवधि और उसके लेखांकन से ज्यादा कोई भी सामग्री एमआईटी (MT) के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि जनवरी 2005 में पोतों पर आपुरित सामग्री 2017 तक एमआईटी के रूप में निरंतर दिखाई गई है।

यदि सामग्री 60 दिन से ज्यादा पारगमन में हो और एमएएस तीन महीने की खपत की आवश्यकता से ज्यादा हो, तो उपयोगकर्ता द्वारा नए एसटीओ के सृजन रोककर एमआईटी (MT) की मात्रा को कम करने के लिए प्रणाली में प्रमाणन प्रक्रिया आरंभ की गई थी (जूलाई 2006)। लेखापरीक्षा में अवलोकन किया गया कि एमआईटी के अंतर्गत दिखाई गई मदों की संख्या में (मार्च 2017) कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं था।

पश्चिमी अपतट क्षेत्र में 31 जनवरी 2017 में, ₹ 2,164.64 करोड़ मूल्य की कुल सामग्री के 9 प्रतिशत को एमआईटी के रूप में संगणित किया गया। हालांकि 1983 से एनएसबी (NSB) परिचालन में है, स्टोर/मालसूची की प्राप्ति, निर्गम और लेखांकन के लिए कोई एसओपी (SOP) निर्धारित नहीं थी। एसओपी(SOP) और प्रक्रिया के एकरूप सेट की अनुपस्थिति में एनएसबी (NSB) में अपतट प्रबंधन व्यक्तिगत पद्धतियों की क्षमता पर निर्भर था। लेखापरीक्षा में यह भी अवलोकन किया गया कि 23 फरवरी 2017 तक ₹ 57.87 करोड़ मूल्य के केसिंग पाइप 1800 दिनों से अधिक समय तक एमआईटी (MIT) के तहत लेखांकित किए जाते रहे। कंपनी ने जनवरी 2017 में एनएसबी (NSB) द्वारा जारी सिमेंट और डीजल का समन्वय से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए अनुशंसाओं का अध्ययन किया और प्रस्ताव करने और एनएसबी (NSB) में माल मुद्दे

⁴⁰ एक्समस ट्री वाल्वों की एक दल है, जो कुर्एँ के फ्ल्युर्ड की निर्माण के बहाव को निदेश और नियंत्रण देने के लिए कुर्एँ के ऊपर स्पूल्स और फिटिंग्स से संयोजित करता है।

के विवाद का समाधान करने के लिए बहु अनुशासनिक दल का गठन किया। अगस्त 2017 में दल की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

पैरा 6.4.1.1 एवं 6.4.1.2 के संबंध में प्रबंधन ने कहा (मई 2017) कि सामग्री की खपत की बुकिंग उपयोगकर्ता विभाग द्वारा की गई थी। एनएसबी (NSB) का अंतर्गमी एमआईटी (MIT) सामग्री लौजिस्टिक अनुभाग द्वारा जीआर की तैयारी के लिए स्टोर हेतु सामग्री को न सौंपने के कारण था और इसका सक्रियता से पालन किया जा रहा था। मांगकर्ता से अपेक्षित अतिरिक्त केसिंग से अधिक मांग करने से दूर रहने की सलाह दी गई थी (फरवरी 2017) क्योंकि यह अंतर्गमी एमआईटी (MIT) के रूप में समाप्त होता है तथा सामग्री के निर्गम तथा ट्रेकिंग हेतु एसएपी (SAP) प्रणाली के उपयोग पर कार्यान्वयन हेतु आंतरिक रूप से चर्चा की जाएगी। तथापि लेखापरीक्षा ने देखा कि बहु अनुशासनिक टीम की अनुशंसाओं का अनुपालन अपूर्ण था। (मई 2018)।

लेखापरीक्षा ने अनुशंसा की कि कंपनी अपतट परिचालनों के लिए एक एसओपी (SOP) को अंतिम रूप दे तथा इसे कार्यान्वित करे। एसएपी प्रणाली का उपयोग एमआईटी (MIT) तथा एमएएस (MAS) के लेखांकन हेतु सुनिश्चित किया जाए। मानकीकृत दस्तावेजीकरण को सभी यूनिटों में सामग्री/उपस्कर आवागमन, मालसूची प्रबंधन के लेखांकन एवं रिपोर्टिंग हेतु विकसित किया जाना चाहिए।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा सिफारिशों को स्वीकार किया तथा अपतट परिचालनों के लिए सामग्रियों के आपूर्ति हेतु एसओपी तैयार करने हेतु और इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का कंपनी को निर्देश दिया (दिसंबर 2017)

6.4.2 पूर्वी अपतट

6.4.2.1 एसएपी (SAP) प्रणाली के अपतट लौजिस्टिक्स प्रबंधन ओएलएम (OLM) मोड्यूल का उपयोग न करना

काकीनाडा, नारसापुर या एनएसबी (NSB) पर स्टोर से सामग्री की आवश्यकता के लिए रिंगों ने मांग रखी। नरसापुर और एनएसबी में संग्रहीत ड्रिलिंग सामग्री के मामले में, इन स्टोरों ने रिंग स्थान के संबंध में एसएपी (SAP) में गुड्स इश्यू वातचर जारी नहीं किया हालंकि इसके कारण सुपुर्दगी नोट/एमटीएन आउट) संबंधित रिंग स्थान पर सीधे जारी की फिर भी रिंगों में वास्तविक सुपुर्दगी के पहले कंपनी लौजिस्टिक विभाग, जहाजीकुली ठेकेदारों और पोत ठेकेदारों जैसी मध्यवर्ती संस्थाओं की शृंखला द्वारा यह सामग्री स्टोर से रिंगों तक जाती है। ऐसे सामग्री आवगमन को पूर्णतः मैप नहीं किया गया जिसने एसएपी (SAP) के ओएलएम (OLM); चक्र का उपयोग नहीं किया गया था। पूर्वी अपतट परिसंपत्ति में सामग्री आवगमन की प्रभावी निगरानी में कमी हुई।

प्रबंधन ने कहा (सितंबर 2017) कि एसएपी के ओएलएम मोड्यूल ने केएसबी में मानवसंसाधन की कमी के कारण कार्यान्वयन नहीं किया और श्रम शक्ति मामले को सुलझाने के बाद वे कार्यान्वयन में तेजी लाएंगे।

6.5 मरम्मत के लिए बाह्य एजेंसी को भेजे स्टोर्स/स्पेयर्स/उपकरणों के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया में कमी

एनएसबी स्टोर/उपकरण आदि के उपयोग के बाद उपयोगकर्ता ने अपतट से सामग्री प्राप्त की। इसमें मरम्मत किए जाने वाले और पुनः उपयोग करने वाले और निन्दनीय मद भी शामिल था। मरम्मत किए जाने वाले मर्दों को बाह्य एजेंसी को मरम्मत के लिए भेजे गए और मरम्मत के बाद वापसी करते हैं, जिसे रिंगों/प्लेटफॉर्म में उसके उपयोग के लिए वापिस भेजते हैं।

लेखापरीक्षा में देखा गया किया कि एनएसबी से बाहर मरम्मत के लिए भेजी गई सामग्री के रिकॉर्ड को एसएपी प्रणाली में अनुरक्षण नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि अनुबंध के तहत एनएसबी के बाह्य एजेंसी को मरम्मत के लिए भेजे गए सामग्री 90 दिनों के अंदर वापिस करना था। ड्रिलिंग सेवाओं द्वारा अनुरक्षित

नियमावली रजिस्टर की सत्यापन के दौरान पाया गया कि 2012-13 से 2015-16 की अवधी के दौरान 272 मर्दों को मरम्मत के लिए भेजा गया था, 31 मार्च 2017 तक एनएसबी को 56 मर्दों का वापस देना था। इसमें दो वर्ष से अधिक समय तक 46 मर्दों की प्राप्ति नहीं हुई और 93 से 756 दिनों में 66 मर्दों की प्राप्ति हुई जो समयातीत था। उपर्युक्त कमी में बताया कि मरम्मत योग्य सामग्री की अप्राप्ति/प्राप्ति में देरी की निगरानी के लिए पर्याप्त प्रक्रिया का अभाव है।

प्रबंधन और मंत्रालय ने आश्वासन दिया (सितंबर 2017) कि एसएपी प्रणाली का उपयोग किया जाएगा और मरम्मत के लिए बाहर भेजी गई सामग्री के की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए एक प्रणाली रखी जाएगी।

6.6 स्टोर्स/स्पेयर्स के प्रत्यक्ष सत्यापन शासित संबंधी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमी

उचित संग्रहण और अकाउंटिंग की लेखांकन सहज इनवेंट्री प्रबंधन का भाग है। एनएसबी (NSB)में अपनाए गई पद्धतियों का अवलोकन से ज्ञात हुआ कि सामग्री के संग्रहण और संचालन के लिए कोई एसओपी

(SOP)विकसित नहीं थे। इसके परिवामस्वरूप अतिसंग्रहण तथा केसिंग पाइप की स्थिति आई जिसने एनएसबी (NSB) पर किसी सीमांकन के बिना एकत्रित किए जा रही थोक मालसूची की स्थिति उत्पन की।



कई बार संग्रह सत्यापक ने अवलोकन किया कि ट्रक में लोड किया रद्दी माल को बाहर ले जाते समय, संदेह व्यक्त किया कि उसमें अच्छे माल हैं या रद्दी माल हैं। माल की आवागमन में उचित जांच या नियंत्रण नहीं था।

लेखापरीक्षा ने यह भी अवलोकन किया कि सामग्री प्रबंधन संघ ने केवल कार्यालय समय के दौरान कार्य किया जब कि केसिंग पाइप्स को भेजने एवं बैकलोड मदों की प्राप्ति चौबीसों घंटे काम किए जो गैर-लेखांकन या भंडारों में लेखांकन की देरी का कारण बना। शेड/यार्ड कई हितधारकों द्वारा परिचालित था। बैकलोड सामग्री को उद्यान क्षेत्र में ढेर के रूप में रखा गया था, एसएपी एमएटी⁴¹ कोड (MAT CODE) के बिना और स्थिती पर ध्यान दिए बिना रद्दी माल के रूप में माने गए।

कंपनी ने अक्टूबर 2016 में एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा मालसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन पूरा किया। स्वतंत्र सत्यापन किया जा सकता था जब एमएटी कोड के साथ मद हो और आंतरिक नियंत्रण और भंडार रखरखाव प्रक्रिया में अंतर को भी रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया। सलाहकार ने अवलोकन किया कि स्थानांतरण के समय में माल का यथोचित सौपने/लेने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी। किसी भी शेड में बंद परिपथ कैमरा का संस्थापन नहीं किया गया था। लम्बी अवधि से पड़े मदों को कई वर्षों से बिना खुले बक्से में देखा गया।



बंद सेड में खुले पड़े संग्रहण के लिए मार्क किए मर्दे

खुले में पड़े अप्रयुक्त केसिंग

प्रबंधन ने श्रमबल के अभाव की कमियों को उत्तरदायी ठहराते हुए यह कहा (सितंबर 2017) कि संग्रहण पद्धतियों में सुधार का प्रयास किए गए थे। केसिंग पाइप्स का

⁴¹ एसएपी में सामग्री कोड

पृथकरण किया गया था तथा अच्छे पाइपों को सामग्री प्रबंधन विभाग के संरक्षण में ले लिया गया। यद्यपि 2016-17 के दौरान 'ए' क्षेणी की मर्दों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था तथापि कोई विसंगति सूचित नहीं की गई। प्रबंधन ने यह स्वीकार किया कि ड्रिलिंग टूल यार्ड स्टोर (डीटीवाईएस) द्वारा केसिंग पाइपों/ड्रिल पाइपों की प्राप्ति को एक वर्ष के लिए रोका गया तथा तब से परिसम्पत्तियों को नई प्रणाली के लिए तैयार नहीं किया गया, सामग्री को परिसरों में ढेर लगाकर रखा गया। इसके अलावा, परिसीमा/शेडों के अभाव की वजह से, एक से अधिक हित धारकों की सामग्री को एक शेड के तहत स्टोर किया गया था जिससे नियंत्रण का अभाव हुआ। नए शेड, पाइप रैक के निर्माण तथा स्टोर भाग में सीसीटीवी कैमरे का संस्थापन आरम्भ किया जाना था।

जवाब को इस तथ्य के सदर्भ में देखा जाना है कि अपतट से वापिस की गई मर्दों के पास न तो कोई एमएटी कोड था न ही एसएपी में संगणित किया गया था। ये स्वतंत्र सत्यापन के अधीन भी नहीं थे। अपतट से सामग्री का स्थायी बैकलोड था जिसमें ऐसे अप्रयुक्त केसिंग पाइपें/ट्यूबिंग सम्मिलित थी। एनएसबी में स्क्रैप की जाने वाली अप्रयुक्त सामग्री से माल/उपयोग्य सामग्री की पहचान करने की एक गैर विध्वंसकारी परीक्षण (एनडीटी) सुविधा नहीं थी। कंपनी ने उपयुक्त मालसूची नियंत्रण तथा लेखाकंन सुनिश्चित करने के लिए सहज संग्रहण पद्धतियों को कार्यान्वित किया है।

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि कंपनी को एनएसबी में संग्रहण की प्रकृति पर विचार करते हुए मालसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन तथा समन्वय की प्रणाली में सुधार किया जाए।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा सिफारिश को स्वीकार किया तथा एनएसबी लागू किए जाने वाले सुसंगत सॉफ्टवेयर के माध्यम से मालसूची प्रबंधन को सम्मिलित करते हुए बेहतर पद्धतियों और एनएसबी के आधुनिकीकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कंपनी को विशिष्ट निर्देश जारी किए (दिसम्बर 2017)।